न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस
अपील संख्याः 322 / 2018
निर्णय दिनांकः

1. पूरया पुत्र स्व. श्री भौरिया (मृतक)
   1/1 छीतर पुत्र स्व. श्री पूरिया
2. शंकर पुत्र स्व. श्री हरल्या
3. कल्याण पुत्र स्व. श्री हरल्या
   समस्त जाति माली, निवासीः ग्राम हिम्मतपुरा तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. गोविन्दा पुत्र स्व. श्री हुक्मा (मृतक)
   1/1 रामजीलाल पुत्र स्व. श्री गोविन्दा
   1/2 शंकर पुत्र स्व. श्री गोविन्दा
   1/3 चिरंजीलाल पुत्र स्व. श्री गोविन्दा
   1/4 गिल्लूराम पुत्र स्व. श्री गोविन्दा
2. प्रभु पुत्र स्व. श्री हुक्मा
3. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री हुक्मा
4. पूनीराम पुत्र स्व. श्री हुक्मा (मृतक)
   4/1 मुकेश पुत्र स्व. श्री पूनीराम
5. कन्हैया पुत्र स्व. श्री छोट्या (मृतक)
   5/1 कैलाश पुत्र स्व. श्री कन्हैया
   5/2 सीताराम पुत्र स्व. श्री कन्हैया
   5/3 रमेश पुत्र स्व. श्री कन्हैया
   5/4 श्रीमती भौरी देवी पत्नि स्व. श्री कन्हैया
   समस्त जाति माली, निवासीः ग्राम हिम्मतपुरा तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
   5/5 श्रीमती कल्ली देवी पत्नि श्री सीताराम पुत्री स्व. श्री कन्हैया निवासीः ग्राम बावडी तेली का बास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
   5/6 श्रीमती गुड्डी देवी पत्नि श्री जगदीश पुत्री स्व. श्री कन्हैया निवासीः ग्राम बावडी तेली का बास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
   5/7 मीरा पुत्री स्व. श्री कन्हैया निवासीः ग्राम कोटखावदा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
   5/8 श्रीमती सुरज्ञानी देवी पत्नि श्री नरसी पुत्री स्व. श्री कन्हैया निवासीः ग्राम बावडी तेली का बास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
6. बद्री पुत्र स्व. श्री छोट्या (मृतक)
   6/1 श्रीमती शिमला देवी पुत्री स्व. श्री बद्री
   6/2 श्रीमती केसन्ता देवी पुत्री स्व. श्री बद्री
   6/3 श्रीमती प्रेम देवी पत्नि स्व. श्री बद्री
   समस्त जाति माली, निवासीः ग्राम हिम्मतपुरा तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
7. तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
8. श्रीमती तीजा देवी पत्नि श्री शंकरलाल पुत्री स्व. श्री पूरिया, निवासीः ग्राम माधोगढ, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 04.12.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 202/2008 उनवान गोविन्दा बनाम पूरया अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–: दिनांक 11/8/21

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 04.12.2017 वाद पत्र संख्या 202/2008 बउनवानी गोविन्दा बनाम पूरया के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 19 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा में साबिक खसरा नंबर 25 रकबा 17 बिस्वा भूमि ग्राम हिम्मतपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार संवत् 2015 में वादीगण के हक पूर्वाधिकारी छोटया, हुक्मा पुत्रान मोती थे। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को अपनी अन्य खातेदारी भूमियों खसरा नंबर 18, 20 एवं 21 में मिलाकर एक जाव बना रखा है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 18, 20 एवं 21 के मध्य में स्थित है जिसमें होकर वादीगण अपनी भूमि खसरा नंबर 18, 20 एवं 21 में आता जाता है एवं मौके पर रास्ता विद्यमान है। वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नंबर 25 रकबा 17 बिस्वा पर वादीगण बुजुर्गो के जमाने से काबिज काश्त चले आ रहे है। एकीकरण के दौरान राजस्व कर्मचारियो ने वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 19 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा में असंवैधानिक रूप से शामिल कर उसे प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया। एकीकरण विभाग को इस प्रकार पूर्व से चले आ रहे खातेदारी इन्द्राज को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। एकीकरण संवत् 2018–2019 के समय भी वादीगण भूमि वादग्रस्त पर काबिज थे एवं वर्तमान तक निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित 17 बिस्वा भूमि पर वादीगण के कच्चे खाम घर बने हुये है जिसमें वादीगण निवास करते है इसी भूमि में होकर वादीगण को खातेदारी की अन्य भूमियों में जाने हेतु मौके पर रास्ता बना हुआ है। विवादित भूमि के अवैधानिक रूप से प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण उन्हे बेदखल करने एवं भूमि का विक्रय करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई अधिकार हासिल नहीं है। हाल खसरा नंबर 19 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा के सडक के किनारे स्थित होने से प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी उत्पन्न हो गई है। ग्राम हिम्मतपुरा एवं तूंगा के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के बहकावे में आकर खसरा नंबर 19 को प्रतिवादी विक्रय करने का प्रयास कर रहे है। कुछ समय पूर्व प्रतिवादीगण अपने साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों को लेकर आये एवं विवादित भूमि को दिखाने लगे, वादीगण ने उनसे पूछा तो प्रतिवादीगण ने जाहिर किया कि विवादित भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज है, वे विवादित भूमि का विक्रय कर रहे है एवं क्रेतागण को कब्जा देकर जबरन वादीगण को बेदखल करेगे इससे वादीगण को चिन्ता हुई। वादीगण ने पटवारी हल्का से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया तो ज्ञात हुआ कि उनके कब्जे की विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। इसके पश्चात् तहसील व भू प्रबंध विभाग से पुराने रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई जिससे वादीगण को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रतिवादीगण के नाम आराजीयात राजस्व कर्मचारी की गलती से लगी है। उपरोक्त इन्द्राज दुरूस्ती एवं आराजीयात की वादीगण के नाम घोषणा करवाने हेतु यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर हाल खसरा नंबर 19 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा में शामिल साबिक खसरा नंबर 25 रकबा 17 बिस्वा भूमि का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे एवं विवादित 17 बिस्वा की खातेदारी में दर्ज चले आ रहे प्रतिवादीगण के नाम के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाई जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित 17 बिस्वा भूमि पर वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे, मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 04.12.2017 को निर्णय पारित कर वादी वाद स्वीकार कर हाल खसरा नंबर 19 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा में शामिल साबिक खसरा नंबर 25 रकबा 17 बिस्वा भूमि का खातेदार वादीगण को घोषित कर तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि खसरा नंबर 19 का साबिक खसरा नंबर 25 है। अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दौराने वाद हो चुकी थी। पूरया के वारिसान की विधिवत तामील करवाये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन न कर मृतक वादीगणों के उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया है एवं मृतक पक्षकारों के नाम से ही डिक्री पारित की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान न देकर न्यायिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित करते हुये गलत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2017 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1992 पेज 634 पेश किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 पूरया की मृत्यु होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसके पश्चात् पूरिया के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूरया के वारिसान को सम्मन जारी किये गये गये थे बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। खतौनी बंदोबश्त अनुसार साबिक खसरा नंबर 25 रकबा 17 बिस्वा वादीगण/रेस्पोडेन्ट की पैतृक सम्पत्ति है एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा नंबर 25 दौराने एकीकरण खसरा नंबर 19 में शामिल किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का परीक्षण कर सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2001 पेज 170, आर.आर.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

टी. 2004(1) पेज 96, आर.आर.टी. 2013(1) पेज 226, आर.बी.जे. 2001, पेज 170, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 154 पेश किये।

4. वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विचाराधीन प्रकरण में दौराने बहस वकील अपीलार्थी की निर्णय एवम् डिक्री जैर अपील के सन्दर्भ में मुख्य आपत्ति यह रही है कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 25.12.2016, वादी बद्री की मृत्यु दिनांक 21.01.2016 एवम् वादी गोविन्दा की मृत्यु दिनांक 18.01.2015 को हो चुकी थी जिनके कायम मुकामान् को रिकॉर्ड पर लिए बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्व निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दिये गये है, अतः निर्णय व डिक्री जैर अपील शून्य होने से खारिज फरमाये जावे। वकील अपीलार्थी की आपत्ति के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 29.12.2014 का अवलोकन किया गया, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 पूरया पुत्र भौरया एवम् अन्य वादीगण की मृत्यु के सन्दर्भ में उनके वारिसान् को रिकॉर्ड पर लिये जाने के सम्बन्ध में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किये जाने एवम् तद्नुसार संशोधित उनवान वाद प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिये गये है। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध संशोधित उनवान दिनांक 20.01.2015 को वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया जिससे अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति कि प्रकरण में मृत पक्षकारान् के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये बिना निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दिये गये है, उचित प्रतीत नहीं होती है किन्तु निर्णय व डिक्री जैर अपील के उनवान के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के उनवान में मूल वाद के उनवान का अंकन करते हुए ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दी गई है अर्थात उनवान में मृत व्यक्तियों के वारिसान् के नाम अंकित किये बिना ही मृत पक्षकारों के नाम अंकित करते हुए ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दी गई है, जो प्रतिस्थापन के आदेश के हो जाने के पश्चात् मूल निर्णय एवम् डिक्री के उनवान में वारिसान् के नाम प्रतिस्थापित नहीं होना यद्यपि लिपिकीय त्रुटि कहा जा सकता है किन्तु मूल निर्णय एवम् डिक्री में संशोधित उनवान अंकित नहीं होने से निर्णय व डिक्री जैर अपील स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय जैर अपील पारित किया गया है वह गुणावगुण के आधार पर सम्पूर्ण विवेचन करते हुए पारित नहीं किया गया है जिससे निर्णय व डिक्री जैर अपील स्पीकिंग निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा होते है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः अपीलान्ट स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 04.12.2017 खारिज किये जाते है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रस्तुत संशोधित उनवान वाद के अनुसार पक्षकारान् की विधिवत् सुनवाई कर, सम्पूर्ण विवेचन करते हुए, पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 11/8/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर